रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258375
CG-DL-E-30102024-258375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615] नई दिल्ली मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946
No. 615] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 673(अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (2) के खंडों (जेडएल) और (जेडजेडए) के साथ पठित धारा 98 की उप-धारा (1) के खंड(ई) तथा धारा 51 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07 जून, 2022 के सा.का.नि सं.425 (ई) के माध्यम से अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 251, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा ajay.sirohi@nic.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

मसौदा संशोधन

1. (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 (यहां बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 2 में

(i) खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(कख) वर्गीकरण सोसायटी" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के खंड (जेडओ) के अर्थ के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त संगठन है, जो वर्गीकरण सोसायटियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का एक सदस्य है;"

(ii) खंड (ग) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-

"स्पष्टीकरण. - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टनभार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टनभार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त प्रत्येक जीवन रक्षक उपकरण को वर्गीकरण सोसायटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा या इसका स्वरूप वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।"

(ii) उप-नियम (2) को उप-नियम (3) से पूर्व उप-नियम (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किए जाने पर, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(2) अनुमोदन या इसके स्वरूप का अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, उप-नियम (1) के तहत प्रदान किया जाएगा, जो कि निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन के अधीन होगा:

(क) समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन, 1974में प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय जीवन रक्षक उपकरण संहिता; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन।"

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी(7)]

डॉ. कमला कान्ता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 29th October, 2024

G.S.R. 673(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 and clause (e) of sub-section (1) of section 98 read with clause (zl) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 425(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 251, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at ajay.sirohi@nic.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

1. (1) These rules may be called the Inland Vessels (Life Saving Appliances) (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 2

i. after clause (a), the following clause shall be inserted namely.-

"(ab) classification society" means a recognised organisation within the meaning of clause (zo) of section 3 of the Act which is a member of International Association of Classification Societies;"

ii. after the clause (c), the following explanation shall be inserted, namely.-

"Explanation. - For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."

3. In rule 7 of the said rules,-

i. For sub-rule (1), the following shall be substituted, namely. –

"Every life-saving appliance provided as per provisions of these rules shall be approved by the Classification Society or be type approved by the Mercantile Marine Department."

ii. sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3) before sub-rule (3) and so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely, -

"(2) The approval or type-approval, as the case may be, shall be granted under sub-rule (1), subject to compliance with the standards specified in:

(a) the International Life Saving Appliance Code provided in the Convention for the Safety of Life at Sea, 1974; or

(b)International Organization for Standardisation."

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(7)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2024.10.30 21:16:41 +05'30'